फर्द अहकाम

गोपाल बनाम श्यामूलाल

न्यायालय : सहायक कलक्टर, बस्सी

वाद/प्रार्थना पत्र/मुकदमा नम्बर : दावा 105/2020

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
20/5/25	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। वादपत्र पर बहस सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश वादपत्र दिनांक 30/5/25 को पेश हो।	
30/5/25	पत्रावली वास्ते आदेश हेतु पेश हुई। वकील पक्षकार उपस्थित। वकील उभयपक्ष की बहस पर मनन करने के पश्चात् एवं बहस दौरान जादिर तथ्यों पर मनन एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड एवं दस्तावेजों के अवलोकन के पश्चात् वादीगण का वाद वादीगण के पक्ष में स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शामिल मिसल किया। वादीगण का वाद अंतिम डिक्री किया जाता है। डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। 30/5/25	

न्यायालय सहायक कलक्टर, बस्सी जिला जयपुर
पीठासीन अधिकारीः- शिप्रा जैन (आर.ए.एस.)

राजस्व मूल वाद संख्या :- 105/2020
जीसीएमएस नम्बर :-2020/00185

1. गोपाल पुत्र सूज्या
2. मदनलाल पुत्र सूज्या
3. मोहन पुत्र सूज्या
4. रामस्वरूप पुत्र सूज्या
   समस्त जाति नाई, निवासी ग्राम झर, तहसील बस्सी, जिला जयपुर।

——वादीगण

—: बनाम :—

1. शम्भूदयाल पुत्र स्व0 सीताराम
2. गौरीशंकर उर्फ धोंकला पुत्र स्व0 सीताराम
3. चमेली बेवा सीताराम
4. ओमप्रकाश पुत्र लक्खू
5. गोपाल पुत्र लक्खू
6. घनश्याम पुत्र लक्खू
7. श्रवण पुत्र लक्खू
8. जुगल बेवा लक्खू
9. बाबूलाल पुत्र रामेश्वर
10. मंगलराम पुत्र रामेश्वर
11. रामकिशोर पुत्र रामेश्वर
12. रामकरण पुत्र ईशरया
13. कस्तुरी पत्नि धन्ना
    समस्त जाति नाई, निवासी ग्राम झर, तहसील बस्सी, जिला जयपुर, राजस्थान।
14. सुशी पुत्री धन्ना पत्नि रामकरण, जाति नाई, निवासी लाहडी का बास, तहसील नांगल राजावतान्, जिला दौसा, राजस्थान।
15. गुड्डी पुत्री धन्ना पत्नि राधामोहन, जाति नाई, हाल निवासी ग्राम लाहडी का बास, तहसील नांगल राजावतान्, जिला दौसा।
16. मुन्नी पुत्री धन्ना पत्नि सुरेश, जाति नाई, हाल निवासी ग्राम बोलपुरा, तहसील बस्सी, जिला जयपुर।
17. उगन्ता पुत्री धन्ना पत्नि महेश, जाति नाई, हाल निवासी ग्राम बोलपुरा, तहसील बस्सी, जिला जयपुर।

——प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 92—ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 बाबत् निषेधाज्ञा

उपस्थितः-
1- श्री सुधीर शर्मा अभिभाषक वादीगण
2- प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

30/5/25

-:निर्णय:-

दिनांक 30.05.25

संक्षिप्त में इस प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण ने जरिये अधिवक्ता इस न्यायालय के समक्ष दिनांक 04.09.2020 को एक दावा अन्तर्गत धारा 92-ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 वावत् निषेधाज्ञा जो दिनांक 04.09.2020 को दावा संख्या 105/2020 वउनवानी गोपाल वगैरह बनाम शम्भूदयाल वगैरह दर्ज रजिस्टर कर विधिक प्रक्रिया प्रारम्भ की गई।

वादीगण ने अपने वाद पत्र में इस आशय का कथन किया कि राजस्व ग्राम झर, पटवार हल्का झर, भू0अ0 निरीक्षक क्षेत्र दूधली, तहसील वस्सी, जिला जयपुर की सरहद में चाह भूमि खसरा नम्बर 291 रकवा 0.0200 हैक्टेयर (गै0मु0 चाह) स्थित है जो वादीगण व प्रतिवादीगण की शामलाति है एंव उक्त शामलाति चाह में पानी सूख जाने के कारण वादीगण के पिता स्व0 सूजा व प्रतिवादीगण ने शामलाति में करीव 20 वर्ष पूर्व वोरिंग करवाया था।

उक्त शामलाति चाह की भूमि में वादीगण के पिता स्व0 सूज्या व प्रतिवादीगण के पूर्वजो स्व0 भौंरीलाल पुत्र प्रताप, रामनिवास पुत्र प्रताप, इशरया पुत्र प्रताप ने सन् 1968 में उक्त पुख्ता चाह में उक्त पुख्ता चाह शामलाति में करवाया था, जिसमें आधा खर्चा वादीगण के पिता स्व0 सूज्या ने अदा किया था व आधा खर्चा प्रतिवादीगण के पूर्वजो स्व0 भौंरीलाल, रामनिवास, ईशरया पुत्रान् प्रताप ने अदा किया था।

उक्त शामलाति चाह व शामलाति बोरिंग में 1/2 हिस्सा वादीगण का अर्थात् प्रत्येक वादी का 1/8 हिस्सा है एंव शेष 1/2 हिस्सा प्रतिवादीगण का है। पूर्व में उक्त शामलाति चाह से पानी लेकर शामलाति खाते की कृषि भूमि की सिंचाई करते थे एंव शामलाति चाह में पानी सूख जाने पर वादीगण के पिता स्व0 सूज्या व प्रतिवादीगण ने उक्त शामलाति चाह में शामलाति बोरिंग करीव 20 वर्ष पूर्व करवा लिया था। उक्त बोरिंग करवाने में आधा खर्चा वादीगण के पिता स्व0 सूज्या ने अदा किया था व आधा खर्चा प्रतिवादीगण ने अदा किया था।

वादीगण के पिता स्व0 सूज्या व प्रतिवादीगण के उक्त वर्णित पूर्वजो ने वाद पत्र की मद संख्या1 में वर्णित शामलाति चाह में सन् 1973 में शामलाति में खर्चा कर विद्युत कनैक्शन लिया था व शामलाति में ही विद्युत मीटर लगवाया था एंव जिसमें आधा खर्चा वादीगण के पिता स्व0 सूज्या ने व आधा खर्चा प्रतिवादीगण के पूर्वजो ने अदा किया था एंव वर्तमान में जो विद्युत मोटर शामलाति चाह में बने शामलाति बोरिंग में लगी हुई है, उसका आधा खर्चा क्रय करने में वादीगण के पिता स्व0 सूज्या व आधा खर्चा प्रतिवादीगण ने अदा किया था।

वादीगण के पिता स्व0 सूज्या ने उक्त शामलाति चाह की भूमि के अलावा अपनी व प्रतिवादीगण की शामलाति खाते की भूमि का विभाजन करवाने हेतु विभाजन का वाद पत्र श्रीमान् न्यायालय में उनवानी सूज्या बनाम

30/5/25

ओमप्रकाश पेश किया था एंव उक्त वाद पत्र में मान्य न्यायालय द्वारा निर्णय एंव डिक्री पारित कर विभाजन कर दिया है एंव वादीगण के पिता स्व0 सूज्या की मृत्यु हो जाने पर उनके हिस्से की भूमि विरासत के आधार पर वादीगण को प्राप्त हो चुकी है एवं उक्त शामलाति चाह व शामलाति बोरिंग के हिस्सा 1/2 की भूमि वादीगण को उनके पिता स्व0 सूज्या की मृत्यु के वाद विरासत के आधार पर प्राप्त हो चुकी है।

उक्त शामलाति चाह के सहखातेदार सीताराम पुत्र रामनिवास की मृत्यु हो चुकी है जिनके वारिसान प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 है एंव सहखातेदार जगदीश पुत्र रामनिवास की नाऔलाद मृत्यु हो चुकी है एंव उनके वारिसान भी प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 है एंव उक्त शामलाति चाह के सहखातेदार धन्ना पुत्र भौंरीलाल करीब 20 वर्ष से पहले ही लापता हो गये थे एंव भारतीय साक्ष्य अधिनियम के प्रावधानो के तहत कानूनन उनकी लीगल मृत्यु हो चुकी है, इस कारण उनके वारिसान प्रतिवादीगण संख्या 13 लगायत 17 को वाद पत्र में पक्षकार बनाया गया है।

वाद पत्र की मद संख्या 8 में वादीगण व प्रतिवादीगण के पारिवारिक सजरे खानदान का उल्लेख करते हुए कथन किया कि वादीगण को प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 12 वाद पत्र के मद संख्या 1 में वर्णित शामलाति चाह में बने शामलाति बोरिंग से 1/2 हिस्सेनुसार पानी लेने में बाधा डाल रहे है एंव जिससे वादीगण अपनी खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 274, 275, 276, 277, 278, 289, 283, 284, 285, 286, 292, 293, 294 स्थित ग्राम झर, पटवार हल्का झर, तहसील बस्सी, जिला जयपुर की सिंचाई नहीं कर पा रहे है एंव वादीगण व उनके परिवार के सदस्यो को पीने के पानी की भी समस्या उत्पन्न हो गई है एंव वादीगण के मवेशियो को पानी पिलाने की समस्या उत्पन्न हो गई है।

दिनांक 19.08.2020 को वादीगण वाद पत्र की मद संख्या 1 में वर्णित शामलाति चाह में बने शामलाति बोरिंग से 1/2 हिस्सेनुसार पानी लेने लगे तो प्रतिवादीगण ने वादीगण को पानी लेने से इन्कार कर दिया व उक्त शामलाति चाह व शामलाति बोरिंग में वादीगण के हक व अधिकार होने से बदनियतिवश इन्कार कर दिया व एलानियां वादीगण को धमकी दी कि हम आपको उक्त शामलाति चाह में बने शामलाति बोरिंग से 1/2 हिस्सेनुसार पानी नहीं लेने देगे एंव आपकी खातेदारी की कृषि भूमि की सिंचाई नहीं करने देगे एंव आपको उक्त शामलाति चाह व शामलाति बोरिंग से जबरन् बेदखल करके रहेगे। इस कारण वादीगण को प्रतिवादीगण के विरुद्ध उक्त वाद पत्र बाबत् निषेधाज्ञा का अर्न्तगत धारा 92-ए आर0टी0एक्ट 1955 के प्रावधानो के तहत पेश करना आवश्यक हुआ है। जिसके वादीगण कानूनन अधिकारी है।

वादीगण को उक्त वाद पत्र का बिनायदावा दिनांक 19.08.2020 की घट्ना के कारण उत्पन्न हुआ है जो निरन्तर जारी है। वाद पत्र में वर्णित चाह व बोरिंग की भूमि श्रीमान् न्यायालय के क्षेत्राधिकार में स्थित है। इस कारण वादीगण के उक्त वाद पत्र की सुनवाई का क्षेत्राधिकार माननीय न्यायालय को धारा 92-ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के प्रावधानो के तहत श्रीमान् न्यायालय को प्राप्त है। वाद पत्र निर्धारित कोर्टफीस पर प्रस्तुत है। वाद पत्र अन्दर मियाद प्रस्तुत है।

30/5/25

प्रार्थना वादीगण निम्न प्रकार है-

(क) वादीगण का वाद विरुद्ध प्रतिवादीगण बावत् निषेधाज्ञा का अर्न्तगत धारा 92-ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 डिक्री फरमाया जावे व वाद पत्र की मद संख्या 1 में वर्णित वादीगण व प्रतिवादीगण की शामलाति चाह में बने शामलाति बोरिंग से 1/2 हिस्सेनुसार वादीगण को पानी लेने में बाधा नहीं डाले, न ही वादीगण को जबरन् बेदखल करे एंव मौके की यथास्थिति बनाये रखे।

(ख) अन्य अनुतोष जो हितकर वादीगण को धारा 209 आर0टी0एक्ट 1955 के प्रावधानो के तहत प्रतिवादीगण के विरुद्ध दिलवाया जावे।

(ग) खर्चा वाद वादीगण को प्रतिवादीगण से दिलवाया जावे।

वादीगण ने अपने वाद पत्र का सत्यापन किया तथा वाद पत्र के समर्थन में शपथ पत्र प्रस्तुत किया।

न्यायालय द्वारा दिनांक 04.09.2020 को प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण की तलबी जरिये रजिस्टर्ड नोटिस करने के आदेश पारित किये गये। डिस्पेच नम्बर 1334-51 दिनांक 21.09.2020 द्वारा नोटिस जारी किये गये। दिनांक 24.12.2020 को प्रतिवादी संख्या 1 ता 12 की ओर से श्री राकेश शर्मा ने यु0टी0 दी। दिनांक 02.02.2021 को वकील वादी ने प्रतिवादीगण को भेजे रजिस्टर्ड नोटिस की रसीदे पेश की जो शामिल मिसल है। वकील श्री राकेश शर्मा ने प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5, 7 लगायत 12 की ओर से वकालतनामा पेश किया जो शामिल मिसल है। दिनांक 22.03.2021 को प्रतिवादी संख्या 6 की ओर से श्री रामजीलाल शर्मा एडवोकेट ने वकालतनामा पेश किया जो शामिल मिसल है। दिनांक 26.03.2021 को प्रतिवादी प्रतिवादी नम्बर 1 ता 12 ने जरिये अधिवक्ता प्रार्थना पत्र अर्न्तगत आदेश 7 नियम 11 सी0पी0सी0 पेश किया जो शामिल मिसल है। दिनांक 28.12.2021 को वादीगण की ओर से प्रार्थना पत्र अर्न्तगत आदेश 7 नियम 11 सी0पी0सी0 का जवाब पेश किया गया जो शामिल मिसल है। दिनांक 11.01.2022 को प्रार्थना पत्र अर्न्तगत आदेश 7 नियम 11 सी0पी0सी0 पर उभय पक्षकारान् की बहस सुनकर आदेश दिनांक 11.01.2022 पारित कर उक्त प्रार्थना पत्र खारिज किया गया।

दिनांक 06.05.2022 को प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 12 की ओर से जवाबदावा पेश किया गया जो शामिल मिसल है।

प्रतिवादीगण ने अपने जवाबदावा में वादीगण के वाद पत्र में वर्णित तथ्यो को अस्वीकार करते हुए इस आशय का कथन किया कि वाद पत्र की मद नम्बर 1 में वर्णित भूमि खसरा नम्बर 291 रकबा 0.0200 हैक्टेयर (गै0मु0 चाह) वाके ग्राम झर, पटवार हल्का झर, तहसील बस्सी, जिला जयपुर में स्थित होना स्वीकार है। वादीगण के पिता स्व0 सूज्या ने शामलाति में करीब 20 वर्ष पूर्व कोई बोरिंग उक्त चाह में नहीं करवाया था।

वादीगण के पिता सूज्या ने पुख्ता चाह शामलाति में नहीं बनाया था तथा वादीगण के पिता स्व0 सूज्या ने कोई खर्चा अदा नहीं किया था तथा सम्पूर्ण खर्चा प्रतिवादीगण के पूर्वज स्व0 भौंरीलाल, रामनिवास, ईशरया पुत्रान् प्रताप ने किया था।

30/5/25

उक्त चाह के बोरिंग में वादीगण के पिता स्व0 सूज्या का कोई हिस्सा नहीं था, ना ही अब वादीगण का कोई हिस्सा है। वादीगण का यह कथन कि वादीगण के पिता स्व0 सूज्या ने उक्त चाह में शामलाति में बोरिंग करीब 20 वर्ष पूर्व करवा लिया था, सरासर गलत है तथा वादीगण का यह कथन भी गलत है कि उक्त कृषि भूमि की सिंचाई उक्त चाह से पानी लेकर करते थे। प्रतिवादीगण के पूर्वजो द्वारा प्रेम व्यवहार में पानी दे दिया करते थे तथा वादीगण का यह कहना भी गलत है कि वादीगण के पिता स्व0 सूज्या ने आधा अर्चा अदा किया था। उक्त चाह में बोरिंग जगदीश, सीताराम पुत्रान् रामनिवास, रामकरण पुत्र ईश्वर, बाबूलाल पुत्र रामेश्वर, ओमप्रकाश पुत्र लक्खू ने उक्त चाह में बोरिंग करवाया था। उक्त चाह के बोरिंग में वादीगण के पिता स्व0 सूज्या का कोई हक व अधिकार नहीं था, ना ही वर्तमान में वादीगण का हक व अधिकार रहा है।

वादीगण का यह कहना गलत है कि वादीगण के पिता स्व0 सूज्या ने सन् 1973 में शामलाति में कोई खर्चा कर विधुत कनैक्शन लिया हो व शामलाति में ही विधुत मोटर लगाई हो तथा आधा खर्चा क्रय किया हो, सरासर गलत है। उक्त विधुत कनैक्शन का सम्पूर्ण खर्चा भौंरीलाल, रामनिवास पुत्र प्रताप ने ही उठाया था तथा उक्त विधुत कनेक्शन इनके नाम से वर्तमान में है।

वादीगण के पिता स्व0 सूज्या द्वारा विभाजन का वाद पत्र आप श्रीमान् न्यायालय में उनवानी सूज्या बनाम ओमप्रकाश पेश करना स्वीकार है तथा उक्त वाद पत्र को न्यायालय द्वारा निर्णय एंव डिक्री पारित करना स्वीकार है। उक्त वाद पत्र का विभाजन प्रतिवादीगण की अनुपस्थिति में लोक अदालत ग्राम झर में प्रारम्भिक डिक्री कर जनरल केम्प बस्सी में अन्तिम डिक्री कर दिया गया था, जिसकी जानकारी प्रतिवादीगण को नहीं थी। प्रतिवादीगण द्वारा जानकारी कर उक्त उनवानी सूज्या बनाम ओमप्रकाश की निर्णय व अन्तिम डिक्री के विरुद्ध अपील न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी, जयपुर के यहां कर दी गई जो वर्तमान में विचाराधीन है। उक्त बोरिंग में वादीगण के पिता सूज्या का कोई हिस्सा नहीं था, ना ही अब वादीगण का कोई हिस्सा रहा है।

वादीगण द्वारा वाद पत्र की मद संख्या 8 में वर्णित पारिवारिक सजरे खानदान को प्रतिवादीगण ने गलत बताते हुए अस्वीकार किया है तथा जवाबदावा की मद संख्या 8 में पारिवारिक सजरा खानदान दर्ज करते हुए कथन किया कि वादीगण का उक्त बोरिंग में कोई हिस्सा नहीं है। जब उक्त चाह के बोरिंग में कोई हिस्सा ही नियत नहीं है तो पानी लेने का कोई हक व अधिकार नहीं है। उक्त भूमि खसरा नम्बर 274, 275, 276, 277, 278, 289, 283, 284, 85, 286, 291, 292, 293, 294 की अपील न्यायालय राजस्व न्यायालय अपील अधिकारी के यहां विचाराधीन है।

उक्त चाह में बने बोरिंग में वादीगण का कोई हिस्सा नियत नहीं है तथा वादीगण उक्त बोरिंग से पानी लेने का कोई हक व अधिकार नहीं है। दिनांक 19.08.2020 को कोई घटना घटित नहीं हुई, जिससे कि उक्त वाद पत्र अर्न्तगत धारा 92ए आर.टी.एक्ट 1955 पेश करना आवश्यक हुआ हो, वाद पत्र पेश करने में वादकारण उत्पन्न नहीं हुआ, ना ही कोई घटना निरन्तर जारी है। बिना वादकारण के अभाव में वाद पत्र खारिज किये जाने योग्य है।

30/5/25

वाद पत्र में वर्णित चाह व बोरिंग की भूमि श्रीमान् न्यायालय के क्षेत्राधिकार में स्थित होना स्वीकार है। वाद पत्र की विवादग्रस्त भूमि के संबंध में एक अपील उनवानी शम्भूदयाल बनाम सूज्या न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर के यहां विचाराधीन है इसलिये धारा 92ए राज0 काश्तकारी अधिनियम, 1955 का वाद पत्र इस न्यायालय श्रीमान् को सुनवाई का क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं है।

वादीगण को वाद पत्र पेश करने का हक नहीं है। अनुतोष की उप मद "क,ख,ग" सरासर गलत है, अस्वीकार है। वादीगण श्रीमान् न्यायालय के समक्ष क्लीन हेण्ड से नहीं आये तथा तथ्यो को तोड़ मरोड़ कर असत्य रूप से प्रस्तुत कर रहे है, जिसका उन्हें कोई वैधानिक अधिकार प्राप्त नहीं है। वादीगण का वाद पत्र क्लीन हेण्ड के अभाव में किसी भी अवस्था में चलने योग्य नहीं है।

अतः जवाबदावा प्रतिवादीगण की ओर से मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादीगण का वाद मय हर्जा-खर्चा अस्वीकार कर खारिज फरमाया जावे।

प्रतिवादीगण ने अपने जवाबदावा का सत्यापन किया तथा जवाबदावा के समर्थन में शपथ पत्र प्रस्तुत किया।

दिनांक 04.04.2023 को प्रतिवादी संख्या 13 लगायत 17 को रजि0 नोटिस भेजे एक माह से अधिक समय हो जाने के कारण इनकी सम्यक तामिल मानी गई और बावजूद तामील अनुपस्थित रहने पर प्रतिवादी संख्या 13 लगायत 17 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाने के आदेश पारित किये गये।

दिनांक 11.07.2024 को पत्रावली पर उपलब्ध अभिवचनो के आधार पर तनकीयात कायम की गई जो निम्नलिखित है-

1. आया वादीगण का वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण अर्न्तगत धारा 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 निषेधाज्ञा का डिक्री करवाने के अधिकारी है? ---जिम्मे वादी
2. आया वादीगण धारा 209 आर0टी0एक्ट, 1955 के प्रावधानो के तहत अन्य हितकर अनुतोष विरूद्ध प्रतिवादीगण प्राप्त करने के अधिकारी है? ---जिम्मे वादी
3. आया वाद पत्र को पेश करने में वादकारण उत्पन्न नहीं हुआ, वादकारण के अभाव में वाद पत्र खारिज किये जाने योग्य है?--जिम्मे प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 12
4. आया धारा 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 का वाद इस न्यायालय को सुनवाई का क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं है?--जिम्मे प्रतिवादी संख्या 1 ता 12
5. आया वादीगण का वाद पत्र क्लीन हेण्ड के अभाव में किसी भी अवस्था में चलने योग्य नहीं है? ----जिम्मे प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 12
6. दादरसी

30/5/24

पत्रावली साक्ष्य वादी में नियत होने पर दिनांक 11.3.2025 को वादीगण की ओर से मौखिक साक्ष्य में वादी संख्या 2 मदनलाल पुत्र स्व0 सूज्या का शपथ पत्र बतौर साक्ष्य प्रस्तुत किया गया।

दिनांक 06.05.2025 को प्रतिवादी संख्या 1 ता 12 असालतन एंव वकालतन अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाने के आदेश पारित किये गये तथा वादी संख्या-2 मदनलाल पुत्र सूज्या उपस्थित हुआ, जिसका मुख्य परीक्षण करवाया गया तथा दस्तावेजी साक्ष्य में **प्रदर्श-1** राजस्व अभिलेख जमाबन्दी संवत् 2075 से 2078 ग्राम झर, तहसील बस्सी खाता संख्या नया 446 पुराना 406 की प्रतिलिपि, **प्रदर्श-2** जमाबन्दी संवत् 2075 से 2078 ग्राम झर खाता संख्या नया 445 पुराना 406 की प्रतिलिपि को प्रदर्शित करवाया गया परन्तु उक्त गवाह से जिरह करने हेतु प्रतिवादीगण असालतन व वकालतन अनुपस्थित है, इसलिये जिरह बन्द की की जाती है। वादीगण द्वारा और साक्ष्य पेश करने से इन्कार करने पर पत्रावली में आगामी पेशी वास्ते अन्तिम बहस हेतु नियत की गई।

वादीगण के विद्धान अभिभाषक की एकपक्षीय बहस सुनी गई।

वादीगण के विद्धान अभिभाषक ने वाद पत्र में वर्णित तथ्यो को दौहराते हुए मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्यो के आधार पर वादीगण का दावा बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री किये जाने का निवेदन किया।

हमने बहस पर चिन्तन, मनन व विचार किया। पत्रावली का गहनता से अवलोकन व अध्ययन किया। पत्रावली पर मौजूद तथ्यो, मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्यो के आधार पर तनकीवार विवेचन व विश्लेषण किया जाना न्यायहित में आवश्यक है।

तनकी नम्बर-1 आया वादीगण का वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण अर्न्तगत धारा 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 निषेधाज्ञा का डिक्री करवाने के अधिकारी है?

इस तनकी को साबित करने का भार वादीगण के जिम्मे रखा गया है। वादीगण ने अपने वाद पत्र में अभिकथित किया कि राजस्व ग्राम झर, पटवार हल्का झर, भू0अ0 निरीक्षक क्षेत्र दूधली, तहसील बस्सी, जिला जयपुर की सरहद में चाह भूमि खसरा नम्बर 291 रकबा 0.0200 हैक्टेयर (गै0मु0 चाह) स्थित है जो वादीगण व प्रतिवादीगण की शामलाति है एंव उक्त शामलाति चाह में पानी सूख जाने के कारण वादीगण के पिता स्व0 सूजा व प्रतिवादीगण ने शामलाति में करीब 20 वर्ष पूर्व बोरिंग उक्त शामलाति चाह में करवाया था। उक्त शामलाति चाह की भूमि में वादीगण के पिता स्व0 सूज्या व प्रतिवादीगण के पूर्वजो स्व0 भौंरीलाल पुत्र प्रताप, रामनिवास पुत्र प्रताप, इशरया पुत्र प्रताप ने सन् 1968 में उक्त पुख्ता चाह में उक्त पुख्ता चाह शामलाति में करवाया था, जिसमें आधा खर्चा वादीगण के पिता स्व0 सूज्या ने अदा किया था व आधा खर्चा प्रतिवादीगण के पूर्वजो स्व0 भौंरीलाल, रामनिवास, ईशरया पुत्रान् प्रताप ने अदा किया था। उक्त शामलाति चाह व शामलाति बोरिंग में 1/2 हिस्सा वादीगण का अर्थात् प्रत्येक वादी का 1/8 हिस्सा है एंव शेष 1/2 हिस्सा प्रतिवादीगण का है। पूर्व में उक्त शामलाति चाह से पानी लेकर शामलाति खाते की कृषि भूमि की सिंचाई करते थे एंव शामलाति चाह में पानी सूख जाने पर

30/5/25

वादीगण के पिता स्व0 सूज्या व प्रतिवादीगण ने उक्त शामलाति वाह में शामलाति बोरिंग करीब 20 वर्ष पूर्व करवा लिया था। उक्त बोरिंग करवाने में आधा खर्चा वादीगण के पिता स्व0 सूज्या ने अदा किया था व आधा खर्चा प्रतिवादीगण ने अदा किया था। वादीगण के पिता स्व0 सूज्या व प्रतिवादीगण के उक्त वर्णित पूर्वजो ने वाद पत्र की मद संख्या। में वर्णित शामलाति वाह में सन् 1973 में शामलाति में खर्चा कर विद्युत कनैक्शन लिया था व शामलाति में ही विद्युत मीटर लगवाया था एंव जिसमें आधा खर्चा वादीगण के पिता स्व0 सूज्या ने व आधा खर्चा प्रतिवादीगण के पूर्वजो ने अदा किया था एंव वर्तमान में जो विद्युत मोटर शामलाति वाह में बने शामलाति बोरिंग में लगी हुई है, उसका आधा खर्चा क्रय करने में वादीगण के पिता स्व0 सूज्या व आधा खर्चा प्रतिवादीगण ने अदा किया था। वादीगण के पिता स्व0 सूज्या ने उक्त शामलाति वाह की भूमि के अलावा अपनी व प्रतिवादीगण की शामलाति खाते की भूमि का विभाजन करवाने हेतु विभाजन का वाद पत्र श्रीमान् न्यायालय में उनवानी सूज्या बनाम ओमप्रकाश पेश किया था एंव उक्त वाद पत्र में मान्य न्यायालय द्वारा निर्णय एंव डिक्री पारित कर विभाजन कर दिया है एंव वादीगण के पिता स्व0 सूज्या की मृत्यु हो जाने पर उनके हिस्से की भूमि विरासत के आधार पर वादीगण को प्राप्त हो चुकी है एवं उक्त शामलाति वाह व शामलाति बोरिंग के हिस्सा 1/2 की भूमि वादीगण को उनके पिता स्व0 सूज्या की मृत्यु के बाद विरासत के आधार पर प्राप्त हो चुकी है। उक्त शामलाति वाह के सहखातेदार सीताराम पुत्र रामनिवास की मृत्यु हो चुकी है जिनके वारिसान प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 है एंव सहखातेदार जगदीश पुत्र रामनिवास की नाऔलाद मृत्यु हो चुकी है एंव उनके वारिसान भी प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 है एंव उक्त शामलाति वाह के सहखातेदार धन्ना पुत्र भौंरीलाल करीब 20 वर्ष से पहले ही तापता हो गये थे एंव भारतीय साक्ष्य अधिनियम के प्रावधानो के तहत कानूनन उनकी लीगल मृत्यु हो चुकी है, इस कारण उनके वारिसान प्रतिवादीगण संख्या 13 लगायत 17 को वाद पत्र में पक्षकार बनाया गया है। वाद पत्र की मद संख्या 8 में वादीगण व प्रतिवादीगण के पारिवारिक सजरे खानदान का उल्लेख करते हुए कथन किया कि वादीगण को प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 12 वाद पत्र के मद संख्या 1 में वर्णित शामलाति वाह में बने शामलाति बोरिंग से 1/2 हिस्सेनुसार पानी लेने में बाधा डाल रहे है एंव जिससे वादीगण अपनी खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 274, 275, 276, 277, 278, 279, 283, 284, 285, 286, 292, 293, 294 स्थित ग्राम झर, पटवार हल्का झर, तहसील बस्सी, जिला जयपुर की सिंचाई नहीं कर पा रहे है एंव वादीगण व उनके परिवार के सदस्यो को पीने के पानी की भी समस्या उत्पन्न हो गई है एंव वादीगण के मवेशियो को पानी पिलाने की समस्या उत्पन्न हो गई है। दिनांक 19.08.2020 को वादीगण वाद पत्र की मद संख्या 1 में वर्णित शामलाति वाह में बने शामलाति बोरिंग से 1/2 हिस्सेनुसार पानी लेने लगे तो प्रतिवादीगण ने वादीगण को पानी लेने से इन्कार कर दिया व उक्त शामलाति वाह व शामलाति बोरिंग में वादीगण के हक व अधिकार होने से बदनियतिवश इन्कार कर दिया व एलानियां वादीगण को धमकी दी कि हम आपको उक्त शामलाति वाह में बने शामलाति बोरिंग से 1/2 हिस्सेनुसार पानी नहीं लेने देगे एंव आपकी खातेदारी की कृषि भूमि की सिंचाई नहीं करने देगे एंव आपको उक्त शामलाति वाह व शामलाति बोरिंग से जबरन् बेदखल करके रहेगे। इस कारण वादीगण को प्रतिवादीगण के विरूद्ध उक्त वाद पत्र बावत् निषेधाज्ञा का अर्न्तगत धारा 92-ए आर0टी0एक्ट 1955 के प्रावधानो के तहत पेश करना आवश्यक हुआ है। जिसके वादीगण कानूनन अधिकारी है। वादीगण को उक्त वाद

30/5/25

पत्र का विनायदावा दिनांक 19.08.2020 की घटना के कारण उत्पन्न हुआ है जो निरन्तर जारी है।

वादीगण ने अपने वाद पत्र के उक्त तथ्यो की ताईद में मौखिक साक्ष्य में वादी संख्या-2 का शपथ पत्र बतौर साक्ष्य प्रस्तुत किया। जिसमें अपने वाद पत्र में वर्णित तथ्यो की ताईद की गई है तथा व्यायालय के समक्ष परीक्षित होकर दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्श-1 राजस्व अभिलेख जमावन्दी संवत् 2075 से 2078 राजस्व ग्राम झर के खाता संख्या नया 446 पुराना 406 में आराजी खसरा नम्बर 291 रकबा 0.0200 हैक्टेयर गै0मु0 चाह की खातेदारी 1-ओमप्रकाश पुत्र लक्खू हिस्सा 1/90 जाति नाई सा0 देह खातेदार, 2-गोपाल पुत्र लक्खू हिस्सा 1/90 हिस्सा 1/8 जाति नाई सा0 देह खातेदार, 3-गोपाल पुत्र लक्खू हिस्सा 1/90 जाति नाई सा0 देह खातेदार, 4-घनश्याम पुत्र लक्खू हिस्सा 1/90 जाति नाई सा0 देह खातेदार, 5-जगदीश पुत्र रामनिवास हिस्सा 1/12 जाति नाई सा0 देह खातेदार, 6-जुगल पत्नि लक्खू हिस्सा 1/90 जाति नाई सा0 देह 7-धन्ना पुत्र भौंरीलाल हिस्सा 1/18 जाति नाई सा0 देह खातेदार, पुत्र रामेश्वर 1/54 जाति नाई सा0 देह खातेदार, 8-बाबूलाल हिस्सा 1/54 जाति नाई सा0 देह खातेदार, 9-मंगलराम पुत्र रामेश्वर 1/8 जाति नाई सा0 देह खातेदार, 10-मदनलाल पुत्र सूज्या हिस्सा नाई सा0 देह खातेदार, 11-मोहन पुत्र सूज्या हिस्सा 1/8 जाति देह खातेदार, 12-रामकरण पुत्र ईशरया हिस्सा 1/6 जाति नाई सा0 खातेदार, 13-रामकिशोर पुत्र रामेश्वर हिस्सा 1/54 जाति नाई सा0 देह 14-रामस्वरूप पुत्र सूज्या हिस्सा 1/8 जाति नाई सा0 देह खातेदार, 15-श्रवण पुत्र लक्खू हिस्सा 1/90 जाति नाई सा0 देह खातेदार, पुत्र रामनिवास हिस्सा 1/12 सा0 देह खातेदार दर्ज रिकार्ड है।

व्यायालय के विनम्र मत में प्रदर्श-1 जमावन्दी संवत् 2075 से 2078 में दर्ज खातेदारी प्रविष्टियो के आधार पर जमावन्दी में दर्ज हिस्सेनुसार वादीगण विवादित गै0मु0 चाह के रिकार्डेड सह-खातेदार काश्तकार है। प्रतिवादीगण की मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य का कोई खण्डन पत्रावली पर मौजूद नहीं है। वादीगण की साक्ष्य अकाट्य व अखण्डनीय है। प्रतिवादी संख्या 1 ता 12 द्वारा जवाबदावा अवश्य प्रस्तुत किया गया है परन्तु प्रतिवादीगण ने मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है तथा दस्तावेजी साक्ष्य प्रदर्शित नहीं करवाये है इसलिये जवाबदावा के साथ प्रस्तुत दस्तावेज नहीं पढे जायेगे। साक्ष्य के अभाव में प्रतिवादीगण के जवाबदावा में वर्णित तथ्य साबित नहीं माने जा सकते। वादीगण को जमाबन्दी में दर्ज हिस्सेनुसार विवादित गै0मु0 चाह व उसमें बने बोरिंग से पानी लेने का कानूनी अधिकार प्राप्त है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर तनकी नम्बर-1 वादीगण के पक्ष में एवं प्रतिवादीगण के विरूद्ध निर्णीत की जाती है।

तनकी नम्बर-2 आया वादीगण धारा 209 आर0टी0एक्ट, 1955 के प्रावधानो के तहत अन्य हितकर अनुतोष विरूद्ध प्रतिवादीगण प्राप्त करने के अधिकारी है? तनकी नम्बर-1 वादीगण के पक्ष में निर्णीत की जा चुकी है इसलिये तनकी नम्बर-2 का अब कोई विधिक औचित्य नहीं रहा है।

तनकी नम्बर-3 आया वाद पत्र को पेश करने में वादकारण उत्पन्न नहीं हुआ, वादकारण के अभाव में वाद पत्र खारिज किये जाने योग्य है? इस तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादी संख्या 1 ता 12 के जिम्मे रखा गया है

30/5/25

परन्तु प्रतिवादीगण अरालतन व वकालतन अनुपस्थित रहने के कारण विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई है, जिनकी कोई मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य पत्रावली पर मौजूद नही है। ऐसी स्थिति में उक्त तनकी साक्ष्य के अभाव में प्रतिवादी संख्या 1 ता 12 के विरूद्ध निर्णीत की जाती है।

तनकी नम्बर–4 आया धारा 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 का वाद इस न्यायालय को सुनवाई का क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं है? इस तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादी संख्या 1 ता 12 के जिम्मे रखा गया है। प्रतिवादीगण असालतन व वकालतन अनुपस्थित रहने के कारण विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई है, जिनकी कोई मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य पत्रावली पर मौजूद नहीं है। उक्त तनकी कानूनी है जिस पर न्यायालय की विनम्र राय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 92ए का वाद पत्र राजस्व न्यायालय को सुनवाई का क्षेत्राधिकार प्राप्त है। ऐसी स्थिति में उक्त तनकी साक्ष्य के अभाव में प्रतिवादी संख्या 1 ता 12 के विरूद्ध निर्णीत की जाती है।

तनकी नम्बर–5 आया वादीगण का वाद पत्र क्लीन हेण्ड के अभाव में किसी भी अवस्था में चलने योग्य नहीं है? इस तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादी संख्या 1 ता 12 के जिम्मे रखा गया है परन्तु प्रतिवादीगण असालतन व वकालतन अनुपस्थित रहने के कारण विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई है, जिनकी कोई मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य पत्रावली पर मौजूद नहीं है। ऐसी स्थिति में उक्त तनकी साक्ष्य के अभाव में प्रतिवादी संख्या 1 ता 12 के विरूद्ध निर्णीत की जाती है।

उपरोक्त विवेचन व विश्लेषण के आधार पर वादीगण का वाद बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतएव वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर वादीगण के पक्ष में व प्रतिवादीगण के विरूद्ध डिक्री किया जाता है कि राजस्व ग्राम झर, पटवार हल्का झर, भू0अ0 निरीक्षक क्षेत्र दूधली, तहसील बस्सी, जिला जयपुर की सरहद में स्थित खसरा नम्बर 291 रकबा 0.0200 हैक्टेयर गै0मु0 चाह के राजस्व अभिलेख जमाबन्दी जमाबन्दी संवत् 2075 से 2078 के खाता संख्या नया 446 पुराना 406 में वादीगण के दर्ज हिस्सेनुसार उक्त चाह व उसमें बने बोरिंग से वादीगण को पानी लेने में कोई बाधा प्रतिवादीगण नहीं डाले, न ही वादीगण को जबरन बेदखल करे एंव मौके की यथास्थिति बनायी रखे। खर्चा खाकारान् अपना–अपना वहन करे। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 30.05.25 को सरे इजलास में सुनाया गया।

शिप्रा जैन
(आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर, बस्सी
जिला जयपुर।

डिक्री मुकदमा इब्तदाई
(ओ0 20 रूल 6-7 जाप्ता दीवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर, बस्सी जिला जयपुर
पीठासीन अधिकारी:- शिप्रा जैन (आर.ए.एस.)

राजस्व मूल वाद संख्या :- 105/2020
जीसीएमएस नम्बर :-2020/00185

1. गोपाल पुत्र सूज्या
2. मदनलाल पुत्र सूज्या
3. मोहन पुत्र सूज्या
4. रामस्वरूप पुत्र सूज्या

समस्त जाति नाई, निवासी ग्राम झर, तहसील बस्सी, जिला जयपुर।

---वादीगण

-: बनाम :-

1. शम्भूदयाल पुत्र स्व0 सीताराम
2. गौरीशंकर उर्फ धोंकला पुत्र स्व0 सीताराम
3. चमेली बेवा सीताराम
4. ओमप्रकाश पुत्र लक्खू
5. गोपाल पुत्र लक्खू
6. घनश्याम पुत्र लक्खू
7. श्रवण पुत्र लक्खू
8. जुगल बेवा लक्खू
9. बाबूलाल पुत्र रामेश्वर
10. मंगलराम पुत्र रामेश्वर
11. रामकिशोर पुत्र रामेश्वर
12. रामकरण पुत्र ईशरया
13. कस्तुरी पत्नि धन्ना

समस्त जाति नाई, निवासी ग्राम झर, तहसील बस्सी, जिला जयपुर, राजस्थान।

14. सुशी पुत्री धन्ना पत्नि रामकरण, जाति नाई, निवासी लाहडी का बास, तहसील नांगल राजावतान्, जिला दौसा, राजस्थान।
15. गुड्डी पुत्री धन्ना पत्नि राधामोहन, जाति नाई, हाल निवासी ग्राम लाहडी का बास, तहसील नांगल राजावतान्, जिला दौसा।
16. मुन्नी पुत्री धन्ना पत्नि सुरेश, जाति नाई, हाल निवासी ग्राम बोलपुरा, तहसील बस्सी, जिला जयपुर।
17. उगन्ता पुत्री धन्ना पत्नि महेश, जाति नाई, हाल निवासी ग्राम बोलपुरा, तहसील बस्सी, जिला जयपुर।

---प्रतिवादीगण

30/5/25

दावा अर्न्तगत धारा 92-ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 बाबत् निषेधाज्ञा

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू दावा व हाजिरी -------- अजजानिब मुद्दई रूबरू ---------------- मिनजानिब मुद्दायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि-

वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर वादीगण के पक्ष में व प्रतिवादीगण के विरुद्ध डिक्री किया जाता है कि राजस्व ग्राम झर, पट्वार हल्का झर, भू0अ0 निरीक्षक क्षेत्र दूधली, तहसील बस्सी, जिला जयपुर की सरहद में स्थित खसरा नम्बर 291 रकबा 0.0200 हैक्टेयर गै0मु0 चाह के राजस्व अभिलेख जमाबन्दी जमाबन्दी संवत् 2075 से 2078 के खाता संख्या नया 446 पुराना 406 में वादीगण के दर्ज हिस्सेनुसार उक्त चाह व उसमें बने बोरिंग से वादीगण को पानी लेने में कोई बाधा प्रतिवादीगण नहीं डाले, न ही वादीगण को जबरन बेदखल करे एंव मौके की यथास्थिति बनायी रखे। खर्चा पक्षकारान् अपना-अपना वहन करे।

निज------- मुबलिग--------- बाबत् -------- खर्चा इस मुकदमा के मय सूद बशरह-------फीसदी सालाना/आज की तारीख से तारीख अदागी तक ------------ को अदा करे।

तब मेरे दस्तखत मुहर अदालत के आज दिनांक 30.05.25 को जारी की गई।

मुहर

दस्तखत
शिप्रा जैन
(आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर, बस्सी
जिला जयपुर।

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुद्दायलाह	रूपया	पैसा
स्टाम्प अर्जीदावा			स्टाम्प अर्जीदावा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वजह सबूत			स्टाम्प वजह सबूत		
महनताना वकील			महनताना वकील		
खर्चा गवाहान			खर्चा गवाहान		
फीस कमिशनर बाबत्			फीस कमिशनर बाबत्		
इजराय			इजराय		
हुक्मनामा			हुक्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
मीजान			मीजान		

शिप्रा जैन
(आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर, बस्सी
जिला जयपुर